न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2787/2025
परिवाद पत्र सं0–1234/2024

धारा– 406, 417/34 I.P.C.

Web Copy not Official

27.04.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण हरिओम शर्मा एवं पुनम शर्मा उर्फ पुनम कुमारी की ओर से परिवाद पत्र सं0–1234/2024 में गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में प्रस्तुत वाद इस प्रकार से है कि परिवाद पत्र अविनाश कुमार द्वारा हरीओम शर्मा, पुनम शर्मा के विरूद्ध इस आशय का दाखिल किया गया कि "अविनाश कुमारके ससुर एवं सॉस रविन्द्र नगर मे मकान बनाकर रहते है, प्रार्थी वहां पर अपने ससुराल बार बार जाता था, वहां पर अभियुक्तो का भी बार बार आना जाना होता था जिसका प्रार्थी के ससुर हरेन्द्र सिंह से लेन देन था। इस दौरान प्रार्थी का अभियुक्तो से अच्छा संबंध हो गया। अभियुक्तगण रूपये की मांग किय तो मई 2019 मे दोनो अभियुक्तगण प्रार्थी से पैसे की मांग किये तो यू.पी.आई. के द्वारा छबबीस लाख उनचालिस हजार दो सौ पचार रूपया भिन्न भिन्न तिथियो को दिया। प्रार्थी द्वारा पैसा वापस मांगने पर अभियुक्तगण टाल मटोल करने लगे एवं प्रार्थी के सॉस सुनीता देवी के घर पर आकर मारपीट किया जिसके लिए प्रार्थी के सॉस ने थाना माटीगाड़ी पर जाकर केस दिनांक 12.06.2022 को किया, दिनांक 15.03.2024 को दोनो अभियुक्तगण प्रार्थी के घर पर आये और धमकी देकर चले गये ।"

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदकगण द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी के संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदकगण का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नही है। आवेदक हरिओम शर्मा द्वारा शिकायत वाद सं0–1083/2022 सी.आर. नं0–1083/2022 अवर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सिलिगुढ़ी मे धारा 138 एन.आई. एक्ट का दाखिल किया गया है जिससे बचने के लिए यह प्रस्तुत परिवाद पत्र दाखिल किया गया है। आवेदकगण निर्दोष है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण को अग्रिम जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2787 / 2025
परिवाद पत्र सं0–1234 / 2024

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

Web Copy not Official

अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। मामला परिवाद पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। परिवादी को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि वे दिये गये पैसे के सम्व्यवहार का विवरण न्यायालय मे प्रस्तुत करें परंतु 06 माह बितने के पश्चात भी ऐसा कोई भी विवरणी प्रस्तुत नही किया गया। आवेदक अभियुक्त द्वारा इस परिवाद के लगभग दो वर्ष पूर्व ही इस परिवादी पर सिलिगुढ़ी, पश्चिम बंगाल के न्यायालय मे चेक अनादरण का मामला दर्ज कराया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो के आलोक पर आवेदकगण को अग्रिम जमानत आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि वह भविष्य मे इस परिवाद मे सक्रिय रूप से अपना पक्ष रखेगें साथ ही आवेदकगण को निर्देश दिया जाता है कि दो सप्ताह के भीतर निम्न न्यायालय मे आत्समर्पण करे तथा आवेदकगण कि ओर से 10,000–10,000 (दस–दस हजार) रूपये के समान दो–दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किये जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

-Sd-

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Date of Judgment/Order	27-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	27-04-2026
Uploading Date	30-04-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar